भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3039
दिनांक 11/03/2026 को उत्तर के लिए

एनईवीए के तहत राज्य विधानमंडल

3039. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन की विशेषताएं क्या हैं और पंजाब राज्य के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पंजाब विधान सभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर
विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) हाँ। भारत सरकार ने 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों और पंजाब समेत संबंधित राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) को उनके संबंधित विधानमंडलों में कार्यान्वित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। नेवा, कार्यसूची, प्रश्न और उनके उत्तर, नोटिस, विधेयक, वाद-विवाद और कार्यवाही जैसे विधायी कार्यों का प्रबंधन करने और उन तक पहुँचने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध करा कर सदन को कागज रहित और डिजिटल सदन में परिवर्तित करता है।

(ग) पंजाब विधानसभा 21 सितंबर, 2023 को नेवा प्लेटफ़ॉर्म को अपनाकर पहले ही अपने आपको पूर्णत: डिजिटल सदन में परिवर्तित कर चुकी है।

***